राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 814/2024
पूनम शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, झुंझुनू।
4. चिकित्सा अधिकारी–प्रभारी, राजकीय जिला आयुर्वेद डिस्पेंसरी, झाझड़, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुड़ी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स/कंपाउडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद डिस्पेंसरी झाझड़, जिला झुंझुनू में कार्यरत हैं। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय आयु. औष. आबडसर, चूरू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में झुंझुनू जिले में ही कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति पति–पत्नी दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित रखने की रही है, परंतु उक्त स्थानांतरण आदेश इस नीति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलार्थी का 140 किमी. दूर स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के सास–ससुर वृद्धजन है एवं विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। उनकी देखभाल के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उनका

यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)